CUTS International

PRESS RELEASE

CONSUMER UNITY & TRUST SOCIETY - A registered, recognised, non-partisan, non-profit and non-government organisation pursuing social justice and economic equity within and across borders

बैंकिंग सेवाओं में विश्वास बनाए रखने के लिए गलत तरीके से विक्रित वित्तीय उत्पादों पर अंकुश जरूरी – वी.जी. सेकर

जयपुर, 19 सितम्बर, 2014।

बैंकिंग सेवाएं केवल मात्र विश्वास पर कायम है और कायम रहनी चाहिए तथा गैर तरीके से उपभोक्ताओं को विश्वास में लेकर वित्तीय उत्पादों को विक्रय करने से सम्बन्धित शिकायतों की बढ़ती हुई संख्या ने समूची बैंकिंग प्रणाली में विश्वास को झकझोरा है। उक्त कथन भारतीय रिजर्व बैंक के महाप्रबन्धक (बैंकिंग निगरानी) श्री वी.जी. सेकर द्वारा व्यक्त किये गये। सेकर उपभोक्ता संस्था 'कट्स' द्वारा दिनांक 18 सितम्बर, 2014 को आयोजित भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा उपभोक्ता अधिकारों पर ड्राफ्ट चार्टर पर आयोजित एक परिचर्चा में मुख्य वक्ता के रूप में बोल रहे थे। सेकर ने अपने उद्बोधन में कहा कि ड्राफ्ट चार्टर में गलत तरीके से विक्रय की गई वित्तीय उत्पादों का भी उल्लेख है तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस प्रकार की शिकायतों पर भविष्य में सख्ती बरती जाएगी। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के एक नियामक के रूप में उपभोक्ता हितार्थ कार्यों पर प्रकाश डाला।

परिचर्चा में बैंकिंग लोकपाल कार्यालय में सचिव व उप महाप्रबन्धक श्री ए.बी. दास ने लोकपाल के समक्ष गैर–तरीके से विक्रित वित्तीय उत्पादों से सम्बन्धित शिकायतों का ब्यौरा दिया तथा लोकपाल द्वारा इस संबंध में की गई कार्यवाही का भी वर्णन किया। दास ने अपने उद्बोधन में सभी बैंकों का आव्हान किया कि वो इस संबंध में उपभोक्ताओं का विश्वास पुनः कायम करें क्योंकि उनका अस्तित्व केवल मात्र उपभोक्ताओं के प्रति सेवा भाव तथा विश्वास पर ही कायम है।

जॉर्ज चेरियन, निदेशक, 'कट्स' ने अपने प्रारम्भिक उद्बोधन में 'कट्स' का परिचय देते हुए 'कट्स' की वित्तीय सेवाओं में उपभोक्ता संरक्षण के प्रति समर्पण व भूमिका का वर्णन किया। चेरियन ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए उपभोक्ता अधिकारों पर नागरिक चार्टर को एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि इसके सफल क्रियान्वयन से 'क्रेता सावधान' से 'विक्रेता सावधान' के सिद्धान्त को न केवल मजबूती मिलेगी, अपितु इसमें वित्तीय उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में एक क्रांति भी आएगी। हालांकि चेरियन ने चार्टर के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कार्ययोजना के अभाव पर चिंता जताई तथा बैंकों को इस कार्य को अंजाम देने का आव्हान किया।

परियोजना समन्वयक अमरजीत सिंह ने अपने प्रस्तुतिकरण द्वारा ड्राफ्ट चार्टर के मुख्य बिंदुओं का उल्लेख कर उसका वर्णन किया तथा 'कट्स' द्वारा हाल ही में शुरू हुई 'राईट टू चॉईस ऑफ कन्ज्यूमर्स ऑफ फाईनेन्सियल सर्विसेज' परियोजना का भी उल्लेख किया जो कि गैर–तरीके से विक्रित वित्तीय उत्पादों पर आधारित है।

भारतीय रिर्जव बैंक के ड्राफ्ट चार्टर में पाचं अधिकार वर्णित हैं: निष्पक्ष व्यवहार का अधिकार, पारदर्शिता का अधिकार, निष्पक्ष व निष्कपट लेनदेन का अधिकार, निजता का अधिकार एवं शिकायत निवारण एवं क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस चार्टर पर 22 सितम्बर, 2014 तक सुझाव आमन्त्रित किए गए हैं।

इस परिचर्चा का उद्देश्य विभिन्न भागीदारों द्वारा चर्चा में भाग लेकर अपने–अपने सुझाव देना था, जिसको कि 'कट्स' द्वारा एकीकृत कर एक वृहद् सुझाव दस्तावेज द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत करना है। कार्यक्रम के प्रारम्भ में दीपक सक्सेना, वरिष्ठ कार्यक्रम समन्वयक ने सभी संभागियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में जयपुर स्थित विभिन्न बैंकों के अधिकारियों, वित्तीय उपभोक्ता संरक्षण पर कार्य करने वाली संस्थाओं के प्रतिनिनिधयों, उपभोक्ता कार्यकर्ताओं व मीडिया सहित कुल 35 संभागियों ने भाग लिया।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:

अमरजीत सिंह, मो.: 98290 15812, ईमेल: ajs@cuts.org

दीपक सक्सेना, मो.: 97999 96095, ईमेल: ds@cuts.org